BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
OA No. 112/2025(CZ)

IN THE MATTER OF:

SUNIL KUMAR ....APPLICANT

VERSUS

STATE OF MADHYA PRADESH & ORS. ....RESPONDENT

INDEX

SR.	PARTICULARS	Annexure	PAGE
1.	Additional Report by District Collector Office, District Raisen submitted in compliance of order dated 22.08.2025 passed by the Hon'ble NGT(CZ)		1-8
2.	Proof of Service		9

Date: 10.10.2025

Place: Bhopal

Submitted by MPPCB:-

through Counsel

Adv. Parul Bhadoria
Ph. No.: (+91)-8085977111;
Email: parul.bhadoria04@gmail.com

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन (म0प्र0)

कमांक /898 /खनिज / 2025 रायसेन दिनांक 29/10/2025

प्रति,

रजिस्टार
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
मध्य क्षेत्रिय न्यायपीठ, तृतीय तल,
राज्य सूचना आयोग भवन,
अरेरा हिल्स, भोपाल (म0प्र0)

विषयः– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 112/2025 (CZ), " Sunil Kumar Vs State of Madhya Pradesh & Ors," में पारित ओदश दिनांक 22.08.2025 के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन का आदेश दिनांक 24.09.2025 एवं क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्र.नि.बो. मण्डीदीप जिला रायसेन का पत्र दिनांक 23.09.2025

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रकरण क्र. ओ.ए. न. 112/2025 (CZ), " Sunil Kumar Vs State of Madhya Pradesh & Ors," में श्री प्रदीप पटेल आत्मज श्री बदामी पटेल निवासी वार्ड न0 17 श्यामनगर कालोनी रायसेन द्वारा ग्राम गोंदरा तहसील व जिला रायसेन की शासकीय भूमि के खसरा कमांक 3 रकबा 2.105 हे0 क्षेत्र पर पत्थर उत्खनन कर क्रेशर मशीन से गिट्टी निर्माण हेतु स्वीकृत उत्खनिपट्टा के संबंध में उपरोक्त याचिका दायर की गई है, जिसमें उक्त स्वीकृत क्षेत्र को वनखंण्ड पी.एफ.–52 होना बतलाया गया है।

1. वन मण्डलाधिकारी (सा0) वनमण्डल रायसेन से प्राप्त पत्र दिनांक 15.10.2025 अनुसार उपरोक्त शिकायत की जांच हेतु वन मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप पटेल मौके पर उपस्थित पाये गये। शिकायत में उल्लेखित स्थल पर क्रेशर स्थापना का बोर्ड लगा हुआ पाया गया, जिस पर निम्न विवरण अंकित था, ग्राम गोंदरा खसरा कमांक 3 रकबा 5.2 एकड अवधि 08.08.2018 से 08.08.2028 प.ह.न. 23 पाया गया। सयुक्त सीमांकन पंचनामा दिनांक 27.04.2018 के अनुसार राजस्व एव विभाग द्वारा स्थल सीमा का निर्धारण किया गया। डी.सी.आर. पंजी के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि खसरा क्रमांक 3 (पूर्व में खसरा क्रमांक 6) ग्राम गोंदरा पी.एफ. –52 के भीतर सम्मिलित नही है। अतः उपयुक्त जांच प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। **(संलग्न अनुलग्न एक)**

2. उक्त क्षेत्र के संबध में उपरोक्त विषयांतर्गत एव संदर्भित पत्रों द्वारा गठित समिति द्वारा संयुक्त जांच दिनांक 08.10.2025 को संयुक्त जांच में मौके पर उपस्थित समस्त अधिकारीयों एवं याचिकाकर्ता के समक्ष उक्त क्षेत्र की जॉच की गई, मौका पंचनामा तैयार किया गया जिसमें यह तथ्य उल्लेखित किया गया है कि उपरोक्त क्षेत्र राजस्व नक्शा खसरा नंम्बर 3 रकबा 10.975 शासकीय भूमि है, एव वन विभाग के नक्शा अनुसार पी.एफ.–52 बीट गोंदरा में भी आता है। मौके पर खसरा न॰ 3 पर कोई भी कटे हुए पेड नही पाये गये हैं। पूर्व में वन एवं राजस्व का संयुक्त सीमांकन किया जा चुका है। उपरोक्त क्षेत्र के सबंध मे राजस्व अभिलेख एवं कार्यालयीन अभिलेखों के आधार, वन मण्डलाधिकारी (सा0) वनमण्डल रायसेन से प्राप्त पत्र दिनांक 27.03.2008, पर ग्राम गोंदरा तहसील व जिला रायसेन की शासकीय भूमि के खसरा कमांक 3 राजस्व भूमि होना पाया गया। **(संलग्न अनुलग्न दो)**

3 आवेदित क्षेत्र के संबंध में वन विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत से प्राप्त ठहराव प्रस्ताव, खनि निरीक्षक एवं सहायक मानचित्रकार से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनों में उत्खनिपट्टा स्वीकृति की अनुशंसा की गई जिसमे प्राप्त जांच प्रतिवेदनो के आधार पर एवं वन मण्डलाधिकारी (सा0) वनमण्डल रायसेन से प्राप्त पत्र दिनांक 27.03.2008, 27.11.2017 अनुसार प्राप्त जांच प्रतिवेदनों एवं वन विभाग के प्रतिवेदन अनुसार उत्खनिपट्टा नियमानुसार स्वीकृत किया गया जिसकी अवधि 08.08.2008 से 07.08.2018 तक एवं प्रथम नवीनीकरण अवधि 08.08.2018 से 07.08.2028 तक क्षेत्र पर पत्थर उत्खनन कर क्रेशर मशीन से गिट्टी निर्माण हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत है आवश्यक वैधानिक अनुमतिया प्राप्त करने उपरांत खदान का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा था वर्तमान में सहायक खनि अधिकारी द्वारा मौके पर तैयार मौका पंचनामा अनुसार नवीन पर्यावरण अनुमति एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति नही होने के कारण खदान से पत्थर उत्खनन एवं क्रेशर संचालन न हो इस हेतु क्रेशर मशीन को ताला लगाकर बंद किया गया है तत्संबंध में पट्टेदार को लिखित एवं मौखिक रूप से अवगत कराया गया है। **(संलग्न अनुलग्न तीन)**

अतः राजस्व अभिलेख एवं कार्यालयीन अभिलेखों एवं वन विभाग पत्रों के आधार पर यह पाया गया कि खसरा क्रमांक 3 (पूर्व में खसरा क्रमांक 6) ग्राम गोंदरा राजस्व भूमि है।

उपरोक्तानुसार उल्लेखित तथ्य एवं जानकारी सादर प्रेषित है।

संलग्नः– अनुलग्न एक से तीन तक

9/10/05

कलेक्टर
जिला–रायसेन

अनुलग्न – एक

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने साची रोड रायसेन (म.प्र.)
E-mail - dfot.rsn@mp.gov.in (Phone & Fax No. 07482 - 222027)

क्रमांक / मा चि / 2457 रायसेन, दिनांक 15 / 10 / 2025

प्रति,

कलेक्टर
जिला रायसेन

विषय – माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क ओ ए न 112 / 2025 (Z), "Sunil Kumar Vs State of Madhya Pradesh & Ors." में पारित आदेश दिनांक 22 / 08 / 2025 के अनुपालन के संबध मे।

संदर्भ – क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिला रायसेन का पत्र क्रमाक / 1446 दिनाक 06 10 2025

---00---

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के संबध मे उपरोक्त शिकायत की जाच हेतु वन मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर जाच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप पटेल मौके पर उपस्थित पाए गए। शिकायत में उल्लेखित स्थल पर "केशर स्थापना" का बोर्ड लगा हुआ पाया गया, जिस पर निम्न विवरण अंकित था – ग्राम गोन्दरा, खसरा क्रमांक 3, रकबा 5.2 एकड, अवधि 08.08.2018 से 07.08.2028, पटवारी हल्का क्रमाक 23 लिखा पाया गया।

संयुक्त सीमांकन पंचनामा दिनांक 27.04.2018 के अनुसार राजस्व एवं वन विभाग द्वारा स्थल सीमा का निर्धारण किया गया। डी.सी.आर. पंजी के परीक्षण उपरान्त यह पाया गया कि खसरा क्रमांक 3 (पूर्व में खसरा क्रमांक 6) ग्राम गोन्दरा पी.एफ.–52 के भीतर सम्मिलित नहीं है।

अतः उपर्युक्त जाच प्रतिवेदन संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है।

संलग्न – संलग्न जाच प्रतिवेदन एवं मौका पंचनामा दिनांक 24.09.2025

वन मंडल अधिकारी
रायसेन (सामान्य) वन मंडल

69

अनुमोदन दो

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन (म0प्र0)

क्रमांक /874 /खनिज / 2025 रायसेन दिनांक 24 /10 / 2025

प्रति,

कलेक्टर
जिला-रायसेन (म.प्र.)

विषय- माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रकरण क. ओ.ए. न. 112/2025 (CZ), " Sunil Kumar Vs State of Madhya Pradesh & Ors." मे पारित आदेश दिनांक 22.08.2025 के संबध मे।

संदर्भ- कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन का आदेश दिनांक 24.09.2025 एवं क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्र.नि.बो. मण्डीदीप जिला रायसेन का पत्र दिनांक 23.09.2025

--00--

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रकरण क. ओ.ए. न. 112/2025 (CZ) " Sunil Kumar Vs State of Madhya Pradesh & Ors." मे श्री प्रदीप पटेल आत्मज श्री बदामी पटेल निवासी वार्ड न0 17 श्यामनगर कालोनी रायसेन द्वारा ग्राम गोंदरा तहसील व जिला रायसेन की शासकीय भूमि के खसरा कमांक 3 रकबा 2.105 हे0 क्षेत्र पर पत्थर उत्खनन कर क्रेशर मशीन से गिट्टी निर्माण हेतु स्वीकृत उत्खनिपट्टा ग्राम गोंदरा खसरा कमाक 3 रकबा 5.2 एकड अवधि 08.08.2018 से 08.08.2028 के संबध में उपरोक्त याचिका दायर की गई है, जिसमे उक्त स्वीकृत क्षेत्र को वनखण्ड पी.एफ.-52 होना बतलाया गया है।

1. उक्त क्षेत्र के संबध मे उपरोक्त विषयातर्गत एवं संदर्भित पत्रो द्वारा गठित समिति द्वारा संयुक्त जाच दिनाक 08.10.2025 को संयुक्त जांच मे मौके पर उपस्थित समस्त अधिकारीयो एवं याचिकाकर्ता के समक्ष उक्त क्षेत्र की जाँच की गई, मौका पचनामा तैयार किया गया जिसमे यह तथ्य उल्लेखित किया गया है कि उपरोक्त क्षेत्र राजस्व नक्शा खसरा नम्बर 3 रकबा 10.975 शासकीय भूमि है, एवं वन विभाग के नक्शा अनुसार पी.एफ. -52 बीट गोंदरा मे भी आता है। मौके पर खसरा 3 पर कोई भी कटे हुए पेड नही पाये गये है। पूर्व मे वन एवं राजस्व का संयुक्त सीमाकन किया जा चुका है। उपरोक्त क्षेत्र के संबध मे राजस्व अभिलेख एवं कार्यालयीन अभिलेखो के आधार, वन मण्डलाधिकारी (सा0) वनमण्डल रायसेन से प्राप्त पत्र दिनाक 27.03.2008, पर ग्राम गोंदरा तहसील व जिला रायसेन की शासकीय भूमि के खसरा कमाक 3 राजस्व भूमि होना पाया गया।

2. वन मण्डलाधिकारी (सा0) वनमण्डल रायसेन से प्राप्त पत्र दिनाक 15.10.2025 अनुसार उपरोक्त शिकायत की जाच हेतु वन मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा स्थल निरीक्षण कर जाच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। निरीक्षण के दौरान श्री प्रदीप पटेल मौके पर उपस्थित पाये गये। शिकायत मे उल्लेखित स्थल पर क्रेशर स्थापना का बोर्ड लगा हुआ पाया गया, जिस पर निम्न विवरण अंकित था, ग्राम गोंदरा खसरा कमाक 3 रकबा 5.2 एकड अवधि 08.08.2018 से 08.08.2028 प.ह.न. 23 पाया गया। संयुक्त सीमाकन पचनामा दिनाक 27.04.2018 के अनुसार राजस्व एवं विभाग द्वारा स्थल सीमा का निर्धारण किया गया। डी.सी.आर. पजी के परीक्षण उपरात यह पाया गया कि खसरा क्रमांक 3 (पूर्व मे खसरा कमाक 6) ग्राम गोंदरा पी.एफ. -52 के भीतर सम्मिलित नही है। अतः उपयुक्त जाच प्रतिवेदन सलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।

//2//

3 आवेदित क्षेत्र के संबंध में वन विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम पंचायत से प्राप्त ठहराव प्रस्ताव खनि निरीक्षक एवं सहायक मानचित्रकार से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदनो मे उत्खनिपट्टा स्वीकृति की अनुशंसा की गई जिसमें प्राप्त जाच प्रतिवेदनो के आधार पर एवं वन मण्डलाधिकारी (सा0) वनमण्डल रायसेन से प्राप्त पत्र दिनाक 27.03.2008, 27.11.2017 अनुसार प्राप्त जाच प्रतिवेदनो एवं वन विभाग के प्रतिवेदन अनुसार उत्खनिपट्टा नियमानुसार स्वीकृत किया गया जिसकी अवधि 08.08.2008 से 07.08.2018 तक एवं प्रथम नवीनीकरण अवधि 08.08.2018 से 07.08.2028 तक क्षेत्र पर पत्थर उत्खनन कर क्रेशर मशीन से गिट्टी निर्माण हेतु उत्खनिपट्टा स्वीकृत है।

अत समिति द्वारा समस्त राजस्व अभिलेख एवं कार्यालयीन अभिलेखों एवं वन विभाग पत्रो के आधार पर यह पाया गया कि खसरा क्रमाक 3 (पूर्व मे खसरा क्रमाक 6) ग्राम गोदरा राजस्व भूमि है।

उपरोक्तानुसार उल्लेखित तथ्य एवं जानकारी सादर प्रेषित है।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग रायसेन	खनि अधिकारी जिला रायसेन	क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मण्डीदीप

अनुलग्न- तीन

मौका पंचनामा

आज दिनांक - 08/10/2025 स्थान - ग्राम मोदरा तह- रायसेन ख०नं०- 03 रकबा - 2.105 हे० स्थानीय ग्राम पार्षद कृषक आवंटित पट्टेदार श्री प्रदीप पटेल S/O श्री बाराती पटेल स्थल पर सही-सही पंचनामा लिख देते हैं कि यह स्थान दिनांक 08/08/2018 से 07/08/2028 तक स्वीकृत हो क्षेत्रीय कार्यालय मं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र क्रमांक/ 1948/जेका/प्रनिबो/2024 क्षेत्रीय दिनांक - 09/08/2024 द्वारा, हे० प्रदीप पटेल आवंटित क्रेशर की पत्थर खदान एवं क्रेशर को जारी सम्मति निरस्त किया गया है जिस आधार पर व जिला खनिज अधिकारी आदेशानुसार को ख-03 खेत पर लगे 01 क्रेशर प्लांट में ताला लगा कर बंद किया गया मौका पर पट्टेदार श्री प्रदीप पटेल उपस्थित रहे। निरीक्षण दौरान स्थल मौके से खनन कार्य होता नहीं पाया गया व क्रेशर बंद अवस्था में पाया गया आगामी आदेश तक 01 क्रेशर प्लांट में ताला लगा कर बंद किया गया।

मौका पंचनामा सही है पढ़कर सुनाया सही पाया व हस्ताक्षर किये।

(signature) — (1) श्री प्रदीप पटेल S/O श्री बाराती पटेल

(2) (signature) ए.म.ओ

(signature) — (2) श्री बाराती पटेल S/O श्री रीछलाल पटेल

श्री राजीव S/O श्री करोड़ीलाल गौर (signature)

(signature) — श्री सीताराम S/O श्री परमहंस

मौका पंचनामा

आज दिनांक 08.10.2025 स्थान – ग्राम गोंदरा तहसील रायसेन खसरा क्रमांक 3 रकबा 2.105 हे0 खनिज काला पत्थर क्रेशर आधारित पट्टेदार श्री प्रदीप पटेल आत्मज श्री बादामी पटेल खदान पर यह सही–सही पंचनामा लिख देते है कि यह खदान दिनांक 08.08.2018 से 07.08.2028 तक स्वीकृत है। क्षेत्रीय कार्यालय म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र क्रमांक/1945/क्षे.का/पु.नि. बो/2024 मंडीदीप दिनांक 09.08.2024 द्वारा मेसर्स प्रदीप पटेल माईनिंग यूनिट की पत्थर खदान एवं क्रेशर को जारी सम्मति निरस्त किया गया है जिस आधार पर व खनि अधिकारी आदेशानुसार खसरा क्रमांक 3 क्षेत्र पर लगे 01 क्रेशर युनिट को ताला कर बन्द किया गया। मौका पर पट्टेदार श्री प्रदीप पटेल उपस्थित रहे। निरीक्षण दौरान खदान क्षेत्र में खनन कार्य होता नहीं पाया गया व केशर बंद अवस्था में पाया गया। आगामी आदेश तक 01 केशर यूनिट को ताला लगाकर बंद किया गया। मौका पंचनामा सभी को पढकर सुनाया सही पाया व हस्ताक्षर लिये।

हस्ताक्षर 1.

हस्ताक्षर 2.

All letter

Report by Collector, Raisen in OA 112/2025

From : Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in> Thu, Nov 13, 2025 05:33 PM

Subject : Report by Collector, Raisen in OA 112/2025 1 attachment

To : rajaujjwal110@gmail.com

Cc : contact mpcz <contact.mpcz@gmail.com>, COLLECTOR RAISEN <dmraisen@nic.in>, Director Directorate GeologyMining <dirgeomn@nic.in>, PS Forest MP <psforest@mp.gov.in>, Shri R P Gupta <secy-moef@nic.in>, harnengt@gmail.com, parul bhadoria04 <parul.bhadoria04@gmail.com>

Madam/Sir

Please find enclosed Report by collector in Original Application No. 112/2025 Sunil Kumar V/s State of Madhya Pradesh & Ors.This mail be considered as proof of service.

Regards
MPPCB

Report dated 29.10.2025 by Collector Raisen in OA 112-2025.pdf
4 MB